संविधान क्या है?

संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी आधार होता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है तथा जो किसी राज्य द्वारा शासन संचालन के लिए अपनाई जाती है। साधारण शब्दों में यदि संविधान के अर्थ पर बात करें तो संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है, जिनके द्वारा एक ओर राज्य का स्वरूप, गठन कार्यक्षेत्र और अधिकार निर्धारित किए जाते हैं तथा दूसरी ओर नागरीकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा राज्य एवम् नागरीकों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था की जाती है। यह वह आधारभुत ढांचा होता है जिसपर राज्य का स्वरूप और शक्ति तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्भर रहते हैं। यह किसी भी देश में शासन याजना की मूलभूत रूपरेखा होती है।

किसी देश के संविधान को इसकी अधार विधि भी कहा जा सकता है, जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत का निर्धारण करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिए कसा जाता है।

प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शो, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है।वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति तथा आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान को एक जीवित दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि समाज और परिस्थितियों की मांग के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं।

भारत का संविधान

भारत का संविधान भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा के माध्यम से 2 वर्ष, 11 महिने और 18 दिन के लम्बे कार्यकाल में गम्भीर विचार विमर्श के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल तैयार किया गया। इसे संविधान सभा द्वारा 26, नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया तथा यह 26, जनवरी 1950 को पूर्णरूप से पूरे भारत वर्ष में लागू हो गया। वास्तविक संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 445 हो गई है लेकिन इनकी वास्तविक संख्या 395 ही है। अनुसूचियों की संख्या भी 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। अपनी नमनीय और विकासशील प्रकृति के कारण भारत का संविधान आज 106 संवैधानिक संशोधन के साथ गणतंत्र के 75 पूरा कर चूका है।

संविधान के स्त्रोत

भारत का संविधान अनेक स्त्रोंतों से प्रभावित है। इसमें परिस्थति और सुविधानुसार देशी और विदेशी स्त्रोंतों से प्रेरणा ली गई है और एक जीवित दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की गई है। संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ संशोधनों के साथ लिया गया है। विदेशी संविधानों के नमूनों में निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैण्ड के

संविधान से ली गई है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित है तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होना अमेरीकी संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है। संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से प्रभावित है। इसी प्रकार से भारत का संविधान कनाडा, अस्ट्रेलिया तथा विश्व के अन्य संविधानों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा मानव अधिकारों की संकल्पना से प्रेरणा ग्रहण करता है।

भारतीय संविधान की विशेषताएं

- संविधान का आकार
- संविधान के प्रकार
- संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली
- संसदीय प्रभुत्व बनाम न्यायिक सर्वोच्चता में समनवय
- सार्वभौम व्यस्क मताधिकार
- मूल अधिकारों का घोषणा पत्र
- राज्य के नीति–निदेशक तत्व
- नागरीकता
- मूल कर्तव्य
- आपातकालीन प्रावधान
- स्वतंत्र न्यायपालिका

निष्कर्ष

भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। यह अनेक दृष्टियों से विश्व के अन्य देशों के संविधानों से अलग है। यह एक साथ लचीला और कठोर दोनो है। इसमें संघात्मक तथा एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं तथा यह संसदीय तथा अध्यक्षीय रूपों का सम्मिश्रण भी है। इसके अलावा यह इसमें संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों के बीच एक मध्य मार्ग अपनाने की कोशिश भी कि गई है। भारत का संविधान इंगलैण्ड मॉडल या अमेरिकी मॉडल के संविधानों में फिट नहीं होता है। भारतीय

जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा भारतीय जनमानस की प्रकृति के अनुरूप इसका निर्माण किया गया है।